UPMT010011022026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05, मथुरा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–464/2026
हिमकर तिवारी आदि बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1– परिवाद संख्या 52067/2023, धारा–420, 120B, 467,468,471 भा.दं.सं. थाना महावन, जिला मथुरा के अभियुक्तगण **हिमकर तिवारी पुत्र स्व० अवनीश कृष्ण तिवारी व चन्द्रप्रकाश शर्मा उर्फ चन्दू पुत्र स्व० रूप किशोर** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, प्रार्थी जगन पाठक मन्दिर श्री नंद भवन चौरासी खम्भा प्रबन्ध समिति श्रीधाम पुरानी गोकुल महावन मथुरा का निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष है, प्रबंध समिति का वर्तमान निर्वाचन दिनांक 01.04.2023 को हुआ था। जिसमें अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, मंत्री श्रीकृष्ण कुमार दीक्षित एवं कोषाध्यक्ष राम कुमार को चुना गया है। उपरोक्त समिति के भारतीय स्टेट बैंक के महावन शाखा में बैंक खाता सं० 33405388398, 33405388397 एवं मशीन खाता सं० 923 है, जिनका संचालन निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रार्थी दिनांक 06.04.2023 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा महावन में गया, जहां बैंक कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि सुशील पाण्डे, चन्द्रप्रकाश शर्मा उर्फ चन्दू हिमकर तिवारी उर्फ गोपाला तिवारी बैंक में समिति का खाता संचालन हेतु अधिकार पत्र दे गये है। जिसमें प्रार्थी के भी हस्ताक्षर होना बताया गया है। प्रार्थी ने उक्त कागजात बैंक कर्मचारियों से देखे तब जानकारी हुई कि समिति का बैंक खाता संचालन करने, धोखाधड़ी जालसाजी से समिति का पैसा निकाल कर हड़प करने के उद्देश्य से सुशील पाण्डेय, चन्द्रप्रकाश शर्मा उर्फ चन्दू तथा हिमकर तिवारी उर्फ गोपाला तिवारी ने फर्जी धोखाधड़ी, जाल, साजी, छल से तैयार कूटरचित अधिकार पत्र बैंक में जमा कर उपयोग किया है। जिसमें प्रार्थी के भी फर्जी कूटरचित हस्ताक्षर बनाये गये है, जिनका उद्देश्य समिति के बैंक खातों से बिना अधिकार धन निकाल कर हड़प करके नाजायज लाभ लेना है। सुशील पाण्डेय चन्द्रप्रकाश शर्मा उर्फ चन्दू तथा हिमकर तिवारी उर्फ गोपाला तिवारी ने उक्त फर्जी जाली प्रपत्र तैयार कर प्रयोग किया है जिसकी जानकारी होते हुए ही प्रार्थी ने बैंक में प्रार्थनापत्र देकर खाते का संचालन बन्द कराया है, जिससे कि समिति की धनराशि को फर्जी तरीके से निकाल कर कोई हडप न कर सके।

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.03.11 10:16:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किया गया हैं कि, प्रार्थीगण को वर्तमान केस में झूँठा फंसाया गया है, जबकि वह पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थीगण का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र लगाया गया था, जो अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम, मथुरा, के न्यायालय से खारिज हो गया था। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लम्बित है। प्रार्थीगण को वादी जगन पाठक द्वारा दर्ज कराये गये परिवाद के आधार पर उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। वादी के स्वयं के कथनानुसार समिति के बैंक खाते से प्रार्थीगण द्वारा कोई पैसा नही निकाला गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने न तो कोई नाजायज लाभ कमाया है और न ही किसी को नाजायज हानि पहुंचायी है। वादी की ओर से परिवाद में स्वयं को व गवाहान को परीक्षित कराये जाने के उपरान्त वर्तमान परिवाद में प्रार्थीगण को दिनांक 16–03–2024 को धारा–420, 120 बी आई०पी०सी० के अन्तर्गत तलब किया गया था और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशील पाण्डे जो वर्तमान केस का मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, उसके सम्बन्ध में स्वयं परिवादी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उसको निर्दोष होना व उसके विरूद्ध तलबी आदेश पारित न किये जाने का कथन परिवादी द्वारा किया गया था। पूर्व आदेश दिनांक 16–3–2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति व परिवादी की ओर से सुशील पाण्डे के निर्दोष होने के सम्बन्ध में दिये गये, प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति शपथपत्र का भाग है जो संलग्नक–1 व 2 है। प्रार्थीगण की ओर से पूर्व आदेश दिनांक 16–03–2024 के विरुद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष निगरानी सं0 205/2024 प्रस्तुत की गई थी, जिसे सत्र न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–10–2024 द्वारा स्वीकार कर लिया था और 16–03–2024 का आदेश अपास्त कर दिया था। सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति शपथपत्र का भाग है जो संलग्नक 3 है। उपरोक्त निगरानी के साथ–साथ प्रार्थीगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जो सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूंकि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई निगरानी स्वीकार हो गई थी और प्रश्नगत पूर्व आदेश दिनांक 16–03–2024 अपास्त कर दिया गया था, इसलिए प्रार्थीगण की ओर से मा० उच्च्य न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन न कर अवर न्यायालय ने पूर्व के तलबी आदेश की धारा–420, 120 बी के स्थान पर प्रार्थीगण को उसी साक्ष्य के आधार पर धारा 420, 120 बी, 467, 468, 471 आई०पी०सी० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया है, जो अपने आप में अजूबा है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है और उसने सच्चाई एवं वास्तविकता को छुपाते हुए, मिथ्या तथ्यों के आधार पर परिवाद में नितान्त झूठे आरोप लगाते हुए, परिवाद प्रस्तुत कर अवर न्यायालय से प्रश्नगत आदेश प्राप्त कर लिया है। सच्चाई एवं वास्तविकता यह है कि वादी द्वारा कथित 01–04–2023 के चुनाव में राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अध्यक्ष, कृष्ण कुमार

दीक्षित मंत्री व रामकुमार कभी भी कोषाध्यक्ष नहीं चुने गये, बल्कि इसके विपरीत सच्चाई यह है कि इन लोगों द्वारा परिवादी व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त श्री नंद भवन चौरासी खम्भा मंदिर की परिसम्पत्तियों को छल, कपट, धोखाधड़ी से हड़पने व खुद को नाजायज लाभ व मंदिर की सम्पत्ति को नाजायज हानि पहुँचाने के उद्देश्य से व मंदिर की प्रबंध समिति पर फर्जी तरीके से धोखाधड़ीपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज प्रबन्ध समिति के चुनाव दिनांक 01–04–2023 के सम्बन्ध में बनाये और यह जानते हुए कि चुनावी दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित हैं उन्हें असल के रूप में प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार सोसाइटीज एवं विट्स आगरा के कार्यालय में दाखिल किये, जिसमें भीगकर तिवारी की ओर से रजिस्ट्रार आगरा आपत्ति दाखिल की गई। रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 14–12–2023 को अपना आदेश पारित करते हुए याचीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये दिनांक 01–04–2003 के चुनाव को सही माना और परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये चुनाव को गलत ठहराया। रजिस्ट्रार, फोसाइटीज एवं विल्स आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि की यात रापमपत्र का भाग है जो संलग्नक है। प्रार्थीगण को परिवादी की ओर से कोई फर्जी व कूटरचित अधिकार पत्र बनाने व परिवादी के हस्ताक्षरों की कूटरचना करने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दिनांक 01–04–2023 को सम्पन्न हुए चुनाव में प्रार्थीगण निर्वाचित हुए थे और चुनाव निर्विवाद था। सच्चाई एवं वास्तविकता यह है कि परिवादी ने स्वयं उक्त कचित अधिकार पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये थे। बाद में परिवादी के लोगों राजेन्द्र प्रसाद आदि द्वारा आपस में षड़यंत्र कर प्रबन्ध समिति पर नाजायज रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से योजना बनाकर फर्जी कथन करते हुए धारा–150(3) सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया था, जिसे न्यायालय ने परिवाद के रूप में व्यवहारित किया था। प्रार्थीगण ने आरोपित धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है न ही उनके विरुद्ध कोई अपराध बनता है। वादी प्रार्थीगण के विरुद्ध येनकेन प्रकारेण वारंट जारी कराने की फिराक में घूम रहा है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि वादी पारंट जारी कराकर प्रार्थीगण को किसी भी समय गिरफ्तार करा सकता है, इसलिए प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपना शपथपत्र दाखिल किया है।

5– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019) धारा 438 दण्ड**

प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,

(4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

7– अभियोजन कथानक के अनुसार इस प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुये, मन्दिर श्री नन्दभवन चौरासी खम्भा प्रबन्ध समिति श्री धाम पुरानी गोकुल महावन, जिला मथुरा का फर्जी निर्वाचन करा कर, फर्जी रूप से नवनिर्वाचित पदाधिकारी घोषित करते हुये, भारतीय स्टेट बैंक महावन शाखा में समिति के खातो का संचालन करने, धोखाधड़ी, जालसाजी से समिति का पैसा निकाल कर हड़प करने के उद्देश्य से फर्जी धोखाधड़ी, जालसाजी, छल से तैयार कूटरचित अधिकारपत्र बैंक में जमा कर उपयोग किया है, जिसमें परिवादी के भी फर्जी कूटरचित हस्ताक्षर बनाये गये है, संबंधी आरोप आक्षेपित हैं। अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

8– अतः मामले की परिस्थितियों एवं कथित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत दिये जाने का कोई उचित आधार नहीं पाया जाता है। अग्रिम जमानत हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है, अतः **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–10.03.2026

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या – 05, मथुरा